

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान ..... वत्सो कौर ..... बनाम ..... राजू सिंह आदि

प्रकरण संख्या ..... 71 ..... / 2018 अन्तर्गत धारा ..... 88, 188, RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं जो इस अ पालना में
17/01/23	<p>वादी व वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वादी व वादी अधिवक्ता को रुक-रू कर 3 बार आवाज लगावाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 RTA इसी स्तर पर अदम पैरवी, अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली निणीति होकर नम्बर से काम होकर वाचिवल दफ्तर को</p>	



**उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)**  
श्री करणपुर

